

क्रीमी लेयर पर अगला कदम सरकार व संसद को उठाना चाहिए- गवई

उन्होंने कहा कि खतरनाक सोच विकसित हुई है कि जब तक जज सरकार के खिलाफ निर्णय न दे, उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता

नई दिल्ली, 23 नवंबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई आज रियाटर हो गए। अपने रियाटरमेंट के मौके पर उन्होंने मीडिया से खास तौर पर बात की और बताया कि बतौर सीजेआई रहते उनका अनुभव कैसा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान बीआर गवई ने कहा कि एक खतरनाक सोच विकसित हो रही है, जिसके मुताबिक जब तक जज सरकार के खिलाफ निर्णय न दे, उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जजों के हालिया तबादले प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं। क्रीमी लेयर पर अदालत ने अपना काम कर दिया, अब सरकार और संसद आगे बढ़ें।

बी.आर. गवई ने कहा कि जाति-

■ आज सेवानिवृत्त हुए सीजेआई गवई ने साफ कहा कि मैं कोई पोस्ट रिटायरमेंट पद स्वीकार नहीं करूंगा। विश्राम के बाद आदिवासी समुदायों के लिए समय दूंगा।

आधारित आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब अगला कदम सरकार और संसद को उठाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में एससी/एसटी समुदायों के भीतर सब-क्लासिफिकेशन की अनुमति दी थी ताकि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित तबकों तक पहुंचा। बराबरी नीचे तक पहुंचनी चाहिए। कई अनुसूचित जाति

परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं, लेकिन वे अब भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यहां तक कि एससी/एसटी समुदाय के कुछ आईएएस अधिकारियों के बच्चे भी कोटा का लाभ लेते हैं। उन्होंने अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि राज्य को एससी/एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहिए, यही वास्तविक समानता का रास्ता है। गवई देश के इतिहास में दूसरे दलित सीजेआई हैं।

कोलीजियम प्रणाली पर उठते सवालों के बीच, सीजेआई गवई ने दावा किया कि जजों के रिस्तेदारों का नाम सामने आने के मामले कुल नियुक्तियों के 10 फीसदी भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ रिस्तेदारी के आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जा सकता। सीजेआई गवई ने कहा कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय विश्राम करेंगे और फिर सामाजिक कार्यों में विशेषकर आदिवासी समुदायों के लिए अपना समय देंगे। उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई भी पोस्ट-रिटायरमेंट पद स्वीकार नहीं करूंगा। जूता फेकने की हालिया घटना पर उन्होंने कहा कि क्षमा भरे स्वभाव में है, इसलिए तुरंत कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया।

कर्नाटक में कोई भी फैसला आलाकमान करेगा- खड़गे

बंगलूरु, 23 नवंबर। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की खबर पर देशभर में चर्चा हो रही है। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ कहा कि वह अभी कुछ नहीं कहना चाहते। जो भी फैसला होगा, हाईकमान ही करेगा।

■ बेंगलुरु आवास के बाहर खड़े पत्रकारों को खड़गे ने कहा, यहाँ आपका समय खराब हो रहा है।

रविवार को अपने बंगलूरु आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा, मैंने जो कहना था कह दिया। यहां खड़े रहकर आपका समय भी खराब हो रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। जो भी है-हाईकमान करेगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया उनसे एक घंटे से ज्यादा समय तक मिले थे। 20 नवंबर को राज्य सरकार के ड ई साल पूरे होने के साथ ही यह सवाल जोर पकड़ रहा है, क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होगा? वहीं सीएम सिद्धरमैया कह चुके हैं कि हाईकमान जो भी तय करेगा, वह मानेंगे।

12 राज्यों में एसआईआर के 99 प्रतिशत प्रपत्र वितरित: चुनाव आयोग

नयी दिल्ली, 23 नवंबर। चुनाव आयोग ने रविवार को स्पेशल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में उल्लेखनीय प्रगति की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित

■ चुनाव आयोग ने कहा कि लगभग 40 प्रतिशत, अर्थात् 20 करोड़ से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइज़ेशन भी हो चुका है।

किए जा चुके हैं। आयोग की दैनिक सूचना से पता चला है कि 50.47 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं और लगभग 40 प्रतिशत, यानी 20 करोड़ से अधिक प्रपत्र, पहले ही डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

प्रपत्र वितरण में गोवा और लक्षद्वीप शीर्ष पर रहे, जहाँ 100 प्रतिशत प्रपत्र वितरित किये जा चुके हैं। इसके बाद अंडमान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा निराधार है- सिद्धारमैया

उन्होंने कहा कि आलाकमान जो भी कहेगा मुझे व शिवकुमार को उसे मानना होगा

■ उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी कहा कि नेतृत्व संबंधी सभी निर्णय केन्द्रीय नेतृत्व लेता है। आलाकमान जो भी फैसला करेगा, हम उसका पालन करेंगे।

रहेंगे और और भविष्य का बजट भी पेश करेंगे।

कर्नाटक के कई विधायकों और विधान पार्षदों द्वारा 2023 के सत्ता-बंटवारे के फामूले पर जोर देने के लिए नयी दिल्ली में डेरा डाले जाने की खबरों पर सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने खरगे से उन बैठकों के बारे में कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंने कहा, "विधायकों को जाने दीजिए लेकिन आलाकमान जो भी कहेगा अंततः हम सभी को उसे मानना होगा। चाहे मैं हूं या डी के शिवकुमार सभी को इसे मानना होगा।"

सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद पर ढाई साल पूरे होने के साथ ही नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और बारी-बारी से

मुख्यमंत्री बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने अभी तक ऐसी किसी व्यवस्था की पुष्टि नहीं की है, हालांकि, 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद से इस पर व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी कहा है कि नेतृत्व संबंधी सभी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेता है। उन्होंने पहले कहा था, "आलाकमान ही फैसला करेगा। वह जो कहेगा, हम उसका पालन करेंगे।"

इस पृष्ठभूमि में, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने यह दावा करके राजनीतिक हलचल मचा दी कि कांग्रेस में विस्फोटक घटनाक्रम करीब है और पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए।

कोयला माफिया पर छापों में ईडी को 14 करोड़ रुपए नकद मिले

कोलकाता, 23 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला माफिया के खिलाफ कार्रवाई में 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और जूली मिली है।

ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ये बरामदगियां कोयला तस्करी से जुड़ी हैं। एजेंसी ने जमीन की बिक्री, कोयले के बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खनन, चोरी, परिवहन, भंडारण और बिक्री के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत शुक्रवार को दोनों राज्यों में 44 जगहों पर छापे और गहन तलाशी अभियान चलाए गए। अधिकारी ने दावा किया कि झारखंड के धनबाद और दुमका में 20 जगहें मुख्य रूप से लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, अमर मंडल, उनकी कंपनियों/इकाइयों और उनसे जुड़े लोगों से जुड़ी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में 24 जगहें छापे और गहन तलाशी अभियान चलाए गए।

■ पश्चिम बंगाल व झारखंड में ईडी ने 44 स्थानों पर छापे मारे।

खरीद के एग्रीमेंट पेपर्स और कई डिजिटल डिवाइस तथा इन धंधों के प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित की जाने वाली इकाई के खाते भी जब्त किए।

कोयले के बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खनन, चोरी, परिवहन, भंडारण और बिक्री के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत शुक्रवार को दोनों राज्यों में 44 जगहों पर छापे और गहन तलाशी अभियान चलाए गए। अधिकारी ने दावा किया कि झारखंड के धनबाद और दुमका में 20 जगहें मुख्य रूप से लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, अमर मंडल, उनकी कंपनियों/इकाइयों और उनसे जुड़े लोगों से जुड़ी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में 24 जगहें छापे और गहन तलाशी अभियान चलाए गए।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ ईडी के 100 से अधिक अधिकारी तलाशी में शामिल थे। ईडी की जांच पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस द्वारा गैर-कानूनी कोयला तस्करी के मामले में दर्ज कई प्राथमिकी पर आधारित है, जो मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच चल रही है।

हर बार गीता के चिन्तन में नई बात मिलती है- मोहन भागवत

संघ को कोई विदेशी देश, संस्था या बाहरी संगठन फंड नहीं करता-योगी

■ भागवत व योगी ने लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया।

हुए कहा कि जहां सत्य और धर्म का मार्ग होता है, वहीं विजय मिलती है। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता मूल में पढ़नी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, तो पता चलेगा। गीता का और एक

गुण विशेष पेसा है कि हर बार आप चिंतन करते हो, तो हर बार आपको नई बात मिलती है। जो भी स्थिति में आपको उपयोगी लगती है, क्योंकि वो सब कुछ है, उससे सदा-सर्वदा, सब परिस्थितियों के लिए सब उपाय मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने पहली बात बताई कि तुम समस्या को ठालने का प्रयास कर रहे हो, भगवान का प्रयास कर रहे हो।

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि पहली बात है कि भागो मत, खड़े रहो, समस्या आई, उसका सामने से

मुकाबला करो। समस्या का निदान पाना है, तो दाएं-बाएं नहीं देखना है। समस्या के अंदर घुसकर निदान करना पड़ता है और इसलिए खड़े रहो, भागो मत। वहीं सीएम योगी ने कहा कि दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक जिन्हें हर भारत का सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मानकर बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है।

आतंकी पाकिस्तान से लाँग रेंज ड्रोन की खेप भारत लाने की तैयारी में था

जाँच एजेंसियों के अनुसार, इन ड्रोन्स की मदद से भारत में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की योजना थी

■ जानकारी मिली है कि किसी इंपोर्ट कंपनी के जरिए ड्रोन्स के पार्ट्स मंगाये जाने थे। इन्हें भारत में असेम्बल करके आतंकी घटनाओं में उपयोग होना था।

में सक्षम होते हैं। इसके बाद इन ड्रोन्स की मदद से, तैयार किए गए विस्फोटक से भारत में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाना था।

गौरतलब है कि पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ तब हुआ जब श्रीनगर पुलिस ने अक्टूबर के मध्य में नौगाम की दीवारों पर लगे पोस्टरों की जांच शुरू की, जिनमें पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को चेतावनी दी गई थी। श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. जीवी सदीप चक्रवर्ती ने जांच का नेतृत्व किया जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहले तीन संदिग्धों – आरिफ निसार डार उर्फ साहित, यासिर उल अशराफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया। इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद,

मौलवी इरफ़ान अहमद, जो एक पूर्व पैरामेडिक था और अब इमाम बन गया है, को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि उस पर पोस्टर उपलब्ध कराने और डॉक्टरों को प्रभावित करने का भी आरोप है। इसके बाद, पुलिस ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय की जांच की, जहाँ डॉ. मुजफ्फ़र गनई और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

जांचकर्ताओं का मानना है कि तीन डॉक्टरों, गनई, उमर नबी (लाल किले के पास विस्फोट करने वाली विस्फोटकों से भरी कार का चालक) और फरार मुजफ्फ़र राटेर का एक मुख्य समूह इस मॉड्यूल के पिछे था।

राजनीतिक दलों ने “चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने” के प्रस्ताव का विरोध किया

केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति को केन्द्र शासित चंडीगढ़ के लिए सीधे कानून बनाने का अधिकार हो

■ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है, यह प्रस्ताव पंजाबियों के साथ विश्वासघात होगा तथा चंडीगढ़, पंजाब को हस्तांतरित करने के पिछले आश्वासनों का उल्लंघन होगा।

करते हुए इसे “पंजाब विरोधी” बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़ 1966 में पंजाब की राजधानी के रूप में स्थापित हुआ था और पंजाब के राज्यपाल दशकों तक इसके प्रशासक रहे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधन शहर को पंजाब से “छीनने” जैसा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक "राजनीति से प्रेरित" है और केंद्र से इस पर आगे न बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह देश के लिए अद्वितीय बलिदान देने वाले पंजाबियों के साथ विश्वासघात होगा और चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने के पिछले आश्वासनों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि यह संशोधन पंजाब के अपनी राजधानी के ऐतिहासिक और संवैधानिक दावे को प्रभावी ढंग से कमजोर करने का प्रयास करता है।

सांसद डॉ. चम्बेवाल ने इस प्रस्ताव को दिनदहाड़े डकैती करार दिया और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सामूहिक प्रतिरोध का आा न किया। उन्होंने पंजाब के सभी सांसदों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आगामी शीतकालीन सत्र में इस संशोधन को हाराने के लिए एकजुट मोर्चा बनाने का आग्रह किया।

फगवाड़ा के विधायक धालीवाल ने एकजुटता का आह्वान दोहराते हुए जोर देकर कहा कि पंजाब के राजनीतिक नेतृत्व को राज्य की पहचान और संघीय अधिकारों से इतने गहरे जुड़े मुद्दे पर एक स्वर में बोलना चाहिए।

शीतकालीन सत्र के नजदीक आते ही विवाद बढ़ ने की उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक दल पंजाब की सहमति के बिना चंडीगढ़ की स्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध करने की कसम खा रहे हैं।

शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ विधेयक नहीं लाया जाएगा

नयी दिल्ली, 23 नवंबर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की वैधानिक स्थिति बदलने के बारे में आ रही रिपोर्टों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी चंडीगढ़ के लिये केंद्र द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है और इस संबंध में संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

■ केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परम्परागत संबंधों में परिवर्तन के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है।

इन रिपोर्टों के कारण सियासी हलकों में तीखी प्रक्रिया हो रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)